

पशुओं का परिवहन नियम, 1978

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 उपधारा (2) वाक्य (एच) में प्रदत्त शक्तियों के प्रवर्तन में केन्द्रीय सरकार यहां निम्नांकित नियम, उक्त धारा के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित, बनाती है, यथा:

पशुओं का परिवहन नियम, 1978

अध्याय - 1

1. संक्षिप्त शीर्षक

ये नियम पशुओं का परिवहन नियम, 1978 कहलाएंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा न जताए

(क) योग्यता प्राप्त पशु-चिकित्सक से तात्पर्य है - किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि या प्रमाणपत्र (डिप्लोमा) धारी पशु-चिकित्सक।

(ख) अनुसूचि से तात्पर्य है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचि।

अध्याय - 2

कुत्ते, बिल्लियों का परिवहन

3. नियम क्रमांक 4 से 14 तक के नियम कुत्ते और बिल्लियों की सभी प्रजातियों के परिवहन पर लागू होंगे फिर चाहे वे रेलवे, सड़क, अभ्यांतर-जलमार्ग, समुद्रीमार्ग या हवाईमार्ग से परिवहन किए जाएं।
4. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ, अनुसूचि-ए में निर्धारित प्रारूपवाला योग्यताप्राप्त पशु-चिकित्सक द्वारा जारी किया गया एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि कुत्ते और बिल्ली रेलवे, सड़क, अभ्यांतर जलमार्ग, समुद्रीमार्ग या हवाईमार्ग से यात्रा करने योग्य है और उन्हें किसी प्रकार का सांसर्गिक रोग, संक्रामक रोग जिसमें रेबीज सम्मिलित है, ऐसे रोग के कोई लक्षण नहीं है।
(ख) जो कुतिया या बिल्ली गर्भावस्था की चरम स्थिति में हो उसका परिवहन नहीं किया जाए।
5. जो कुतिया या बिल्ली गर्भावस्था की चरम स्थिति में हो उसका परिवहन नहीं किया जाए।
6. (क) एक टिपारे में एक ही जाति/प्रजाति के कुत्ते-बिल्ली का परिवहन किया जाएगा।
(ख) दूध पीते पिल्ले या बिल्ली के बच्चे, उनकी माताओं के अलावा अन्य किसी वयस्क कुत्ते-बिल्ली के साथ परिवहन नहीं किया जाए।
(ग) जो कुतिया-बिल्ली गर्मी में हो उन्हें तर-कुत्तों या नर-बिल्लियों के साथ परिवहन नहीं किया जाए।
7. (क) काट खाने वाले या काट खाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले कुत्ते-बिल्लियों का पृथक पिंजरे में अकेले परिवहन किया जाए, वे काट न खाएं ऐसी व्यवस्था की जाये और उतारने-चढ़ाने वालों के लिए सावधानी बरतने का लेबल चिपकाया हुआ हो।
(ख) अतिरेकपूर्ण प्रकरणों में कुत्ते-बिल्लियों को योग्यताप्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा बेहोशी-प्रेरक दवा पिलाकर रखा जाए
8. जब कुत्ते, बिल्लियों को लंबी दूरी पर ले जाना हो-

- (क) परिवहन के न्यूनतम दो घंटे पूर्व-उन्हें खिला-पिला दिया गया हो और परिवहन के लिए उन्हें भूखा-प्यासा न बांध दिया गया हो।
- (ख) परिवहन-रवानगी के तत्काल पूर्व तक उनको व्यायाम करवा दिया गया हो।
- (ग) ठंड के दिनों में छः घंटों और गर्मी के दिनों में चार-चार घंटों के अन्तराल पर उन्हें पर्याप्त पानी दिया जाए।
- (घ) वयस्क कुत्ते-बिल्लियों को 12 घंटों में कम से कम एक बार और अवयस्क और छोटे बच्चों को प्रत्येक चार घंटे में खिलाया जाए, और यदि भेजनेवाला इस संबंध में विशेष निर्देश करे तो उसका पालन हो।
- (ङ) यात्रा के दौरान उनकी पूरी परवाह की व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रबंध किया जाए।
- (2) जब कुत्ते-बिल्लियों का परिवहन 6 घंटे की यात्रा से अधिक के लिए रेलवे से होना है तब एक परिचारक उनके साथ चलना चाहिए जो रास्ते में उन्हें भोजन-पानी दे सके और वह हर स्टेशन पर उनसे संपर्क रख सके। कोई भी कुत्ता-बिल्ली यात्रा के दौरान तेज हवा के सामने न आने पाए।
9. जब कुत्ते-बिल्लियों का परिवहन कम दूरी पर सड़क मार्ग से होता हो और लोक-वाहन से हो रहा हो तब निम्नांकित सावधानियां बरतनी होगी :-
- (क) वे एक पिंजरे में रखे जाएंगे और पिंजरा जिसमें कुत्ते-बिल्ली रखे हों, को वाहन की छत पर नहीं रखा जाएगा, अपितु वाहन के अन्दर रखा जाएगा और जहां तक संभव हो वाहन के पिछले छोर के पास रखा जाएगा।
- (ख) कुत्ते-बिल्लियों का परिवहन करने वाला वाहन एक जैसी गीत से चलाया जाए, वाहन के अचानक रोकने को टाला जाए और झटकों और कूदकने के प्रभावों को कम से कम किया जाएगा।
- (ग) न्यूनतम एक परिचारक यात्रा के दौरान रखा जाएगा जो यह देखे कि परिवहन-संबंधी अनुकूल व्यवस्थाओं का पालन हो रहा है और वह उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन-पानी भी देता रहे।
10. जब कुत्ते-बिल्लियों को हवाई जहाज से ले जाना हो-
- (क) कुत्ते-बिल्लियों को उनमें रखने के पूर्व पिंजरों की अच्छी सफाई होनी चाहिए और उन्हें कीटाणु-मुक्त कर दिया जाना चाहिये।
- (ख) बिल्लियों के लिए आरामप्रद पर्याप्त घास-पुआल या लकड़ी का चूरा या कागज-कतरन की बिछावन होनी चाहिए।
- (ग) अन्तरराष्ट्रीय परिवहन के लिए, कुत्तों-बिल्लियों को पृथक विशिष्ट विभाग में रखा जाए जिसमें हवा का दबाव व तापमान नियंत्रित हो।
11. कुत्ते और बिल्लियों के लिए टिपारे (क्रेट्स) इस माप व प्रकार के बने हो जो अनुसूचि - बी और अनुसूचि-सी में क्रमशः वर्णित माप व प्रकार से अधिकाधिक मेल खाते हों।
12. कुत्ते-बिल्लियों के सभी डिब्बों (कन्टेनर) पर स्पष्टतः भेजनेवाले का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (हो तो) अंकित होना चाहिए।
13. पाने वाले को रेल गाड़ी, अन्य वाहन या हवाई जहाज के पहुंचने का समय सूचित होना चाहिए, हवाई यात्रा क्रमांक और पहुंचने का समय उसे अग्रिम बताना चाहिए।
14. रेलवे या सड़क मार्ग से परिवहन के लिए पार्सल-बुक किए जाने वाले कुत्ते-बिल्लियों के कन्साइन्मेंट अगली ही यात्री (पैसेंजर) या डाक (मेल)गाड़ी या बस से भेजे जाने चाहिए और उन्हें परिवहन के लिए बुक कर लेने के बाद रोके नहीं रखना चाहिए।

अध्याय - 3

बन्दरों का परिवहन

15. नियम क्रमांक 16 से 23 तक के नियम सभी प्रकार के ऐसे बन्दरों के लिए लागू होंगे जो उनके पकड़े जाने वाले क्षेत्र से समीपस्थ रेलवे-स्थान तक ले जाए जाने वाले हों।
16. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ एक वैध स्वास्थ्य प्रमाणपत्र रहेगा जो योग्यता-प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें उल्लेख हो कि पकड़े गए स्थान से लगाकर समीपस्थ रेलवे पहुंच-स्थान तक यात्रा करने के लिए उन बन्दरों की अच्छी स्थिति है और उन्हें किसी तरह का सांसर्गिक रोग या संक्रामक रोग नहीं है।
(ख) ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में परिवहक कन्साइनमेंट को ग्रहण करने से इंकार करेगा।
(ग) यह प्रमाणपत्र अनुसूचि - डी के प्रारूप के अनुसार होगा।
17. (1) एक पकड़-क्षेत्र के बन्दरों को दूसरे पकड़-क्षेत्र के बन्दरों में नहीं मिलने दिया जाएगा जिससे छूआछूत के रोग को आपस में लगने से टाला जा सके।
(2) पकड़-क्षेत्र से समीपस्थ रेलवे-स्थान तक की यात्रा न्यूनतम समय में तय करनी होगी और बन्दरों को होने वाली परेशानी को न्यूनतम किया जाएगा।
(3) यदि यात्रा छः घंटों से अधिक की है तो बन्दरों को मार्ग में खिलाने-पिलाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
(4) यात्रा के दौरान, बन्दरों को अतिरेकपूर्ण मौसमी दशा से बचाया जाएगा और जो बन्दर मार्ग में मर जाए उसका जहां तक अवसर मिले अविलंब निकाल किया जाएगा।
18. जो बन्दर स्तनपान की उम्र पार न कर चुके हो अर्थात् 1.8 किलोग्राम से कम वजन वाले हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना परिवहन नहीं किया जाएगा।
19. (क) गर्भवती और दूध-पिलाने वाली बन्दरियों का केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना परिवहन नहीं किया जाएगा।
(ख) गर्भवती और दूध-पिलाने वाली बन्दरियों तथा 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बन्दरों का पृथक पृथक खंडों वाले पिंजरों में परिवहन किया जाएगा।
20. एक पिंजरे में सभी बन्दर एक ही प्रजाति के और करीब समान वजन और आकार के रखे जाएं।
21. जो बन्दर उनके नैसर्गिक आवासों से पकड़े जाएं उन्हें नए, गरम-दवायुक्त पानी से धुले हुए (स्टेरेलाइज) और एकदम स्वच्छ पिंजरों में रखा जाना चाहिए और यदि आगे अन्य पिंजरों में अन्तरित करने हो तो वे पिंजरे भी वैसे ही स्वच्छ होने चाहिए।
22. पकड़े जाने के स्थान से समीपस्थ रेलवे-स्थान तक बन्दरों को शीघ्रगामी साधनों से पहुंचाया जाना चाहिए और यात्रा में उन्हें बिना देखरेख के नहीं रखा जाना चाहिए।
- 23.(1) (क) बन्दरों को लकड़ी या बांस के बने उपयुक्त पिंजरों में परिवहन करना चाहिए, पिंजरे ऐसे बने हो ताकि उनमें से बन्दर निकल नहीं पड़ें किंतु पर्याप्त हवा का आवगमन होता रहे।
(ख) पिंजरे के भीतर और बाहर कीलें, धातु के नुकीले सिरे, तीखे तुक्के नहीं निकले होने चाहिए।
(ग) प्रत्येक पिंजरे में पर्याप्त पानी और भोजन रखने के लिए उपयुक्त पात्र रखे होने चाहिए, उनमें से भोजन-पानी की रिसन न हो और यात्रा के दौरान उनकी सफाई और भोजन-पानी भरने का काम होते रहना चाहिए।
- (2) पिंजरों की फर्श बांस की रीपों से बनी हो और एक रीप से दूसरी की दूरी 20 से 30 मि.मी. की हो।

(3) उठाने-रखने के लिए, इन पिंजरों के उपरी भाग के चारों कोनों पर रस्सी के बन्ध होने चाहिये।

(4) भरे हुए किसी पिंजरे का वजन 45 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) पिंजरों के आकार निम्नांकित दो प्रकार के होने चाहिए।

(क) 910x760x510 मिलीमीटर - 12 बन्दरों तक को रखने के लिए, जिनका वजन प्रत्येक का 1.8 से 3 किलोग्राम, या 10 बन्दरों तक के लिये जिनका प्रत्येक का वजन 3.1 से 5 किलोग्राम हो।

(ख) 710x710x510 मिलीमीटर - 10 बन्दरों तक रखने के लिए जिनका वजन प्रत्येक का 1.8 से 3 किलो या आठ बंदरों तक के लिए जिनका वजन 3.1 से 5 किलोग्राम तक हो।

प्रावधान है कि अनुसूचि एक में वर्णित प्रकार के पिंजरों का उपयोग बन्दरों के पकड़ने के स्थान से रेलवे ... तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकेगा।

(6) इन दो प्रकार के पिंजरों का निर्माण अनुसूचि-इ में वर्णित निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

24. नियम क्रमांक 25 से 32 तक, बन्दरों के ऐसे परिवहन पर लागू होंगे जो एक रेलवे-स्थान से दूसरे रेलवे स्थान तक या रेलवे - स्थान से समीपस्थ हवाई-अड्डे तक ले जाए जाने हैं।

25. (क) चढ़ाना और उतारना अविलंब और दक्षतापूर्वक हो।

(ख) पिंजरों को इस प्रकार जमाना चाहिए कि उनमें पर्याप्त हवा आती रहे और बन्दरों को सीधी ठंडी या गरम हवा न सहनी पड़े।

(ग) जो बन्दर मार्ग में मर जाएं उनको उपयुक्त निकाल के लिये अविलंब हटाया जाना चाहिए।

26. परिवहन के पिंजरे नियम 23 के विवरणों वाले होने चाहिए।

27. (1) भेजनेवाले को यात्रा के लिए पर्याप्त खाने और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) यदि यात्रा 6 घंटों से अधिक की हो तो एक परिचारक अवश्य साथ रहे जो रास्ते में बन्दरों को भोजन-पानी आदि दे सके और रास्ते में हर स्टेशन पर वह भोजन-पानी देने के लिए बन्दरों के पास जा सके, उन पर ध्यान भी दे सके।

(3) भोजन-पानी के डिब्बों की प्रत्येक छः घंटों में जांच होनी चाहिए और आवश्यक हो तो पुनः भरे जाने चाहिए।

(4) रात के समय बन्दरों को व्यवधान नहीं पहुंचाया जाएगा।

28. एक पिंजरों के उपर एक से अधिक पिंजरा नहीं रखा जाएगा और जब एक दूसरे पर रखा जाएगा तब दो पिंजरों के बीच में टाट की पैकिंग रखी जाएगी।

29. बन्दरों को हवाई अड्डे पर पर्याप्त समय पूर्व ले जाया जाएगा।

30. हवाई जहाज में चढ़ाने के तुरंत पूर्व बन्दरों को खिलाया-पिलाया जाएगा।

31. (क) पिंजरे पर भेजने वाले और पाने वाले का नाम, पता और फोन नंबर (यदि हो तो) बड़े स्पष्ट और लाल अक्षरों में लिखा रहेगा।

(ख) पाने वाले को सूचना दी जाएगी कि किस रेल गाड़ी से बन्दरों का कन्साइनमेंट भेजा गया है और रेल गाड़ी के पहुंचने का समय पहले से उसे बताया जाएगा।

(ग) बन्दरों के कन्साइनमेंट को परिवहन हेतु ग्रहण करने के बाद तुरंत उपलब्ध सवरी (पेसेन्जर) या डाक (मेल) गाड़ी से भेजा जाएगा और किसी तरह पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा।

32. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ योग्यता प्राप्त पशु चिकित्सक का एक वैध स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र लगाया जाएगा कि परिवहन किए जाने वाले बन्दर एक रेलवे - स्थान से दूसरे रेलवे-स्थान या एक

